

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं०-8/भू०अ०नि० NH (admn)-39/2018-242/रा०

राँची, दिनांक-23-04-18

:: संकल्प ::

विषय:-राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ली जानेवाली प्रशासनिक व्यय (स्थापना प्रभार) को युक्तिसंगत (Rationalization) करने के संबंध में।

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा-109 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 गठित की गई है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा भू-अर्जन कार्यवाही हेतु Administrative Charges निर्धारित की जाती है। नियमावली के नियम 4 (2) में Administrative Charges संबंधी नियम बनाये गये हैं, जिसके अनुसार भू-अर्जन का स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा राशि का 5 प्रतिशत एवं पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन का स्थापना प्रभार के रूप में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मुआवजा का 5 प्रतिशत अधियाची निकाय से लेने का प्रावधान किया गया है।

2. झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं विकास का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति उपरान्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा कराया जा रहा है तथा इस निमित्त राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्वामित्व की भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

3. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), भारत सरकार के पत्र सं०-100586, दिनांक-30.05.17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Assigned 4 lane/6 lane परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाता है, जिसमें भू-अर्जन की प्रायः आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा भू-अर्जन हेतु सक्षम पदाधिकारी घोषित किया जाता है। किन्तु कई बार भू-अर्जन पदाधिकारियों की कमी के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा Special Land Acquisition Units (SLAU) engage किया जाता है। जिसपर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अतिरिक्त राशि व्यय किया जाता है।

4. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा सूचित किया गया है कि कई राज्य यथा: आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान इत्यादि द्वारा NHAI परियोजनाओं पर कोई भी Administrative Charges नहीं लगाये जाते हैं, जबकि झारखण्ड राज्य द्वारा यह राशि प्रतिपूर्ति राशि का 6-21 प्रतिशत के बीच है। ऐसी परिस्थिति जहाँ SLAU पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अतिरिक्त राशि भारत किया जाता है, राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूर्ति राशि के प्रतिशत के रूप में Administrative Charges Levy करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध०स० पत्र सं०-11011/73/2016-L.A.(pt.), दिनांक-06.07.17 एवं 11011/73/2016-L.A.(pt.), दिनांक-11.12.17 द्वारा Administrative Charges को Rationalize करने हेतु अनुरोध किया गया है :-

i. Raise a bill for the actual expenditure incurred by the State Government on land acquisition for the National Highways (this would entail a complex accounting problem in terms of working out the part time and effort of the deployed officers); or

ii. Consider prescribing a fixed amount per hectare acquisition cost (as in the case of Haryana. it is Rs. 1.00 lakh per acre or Rs. 2.5 lakh per hectare); or

iii. Cap the administrative charges at a uniform rate of 2.5% of the compensation amount, while allowing for adjustment of the additional expenditure incurred by the NHAI on engagement of the special Land Acquisition Support Units to assist the CALA.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि - झारखण्ड राज्य में NHAI परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही में ली जाने वाली Administrative Cost भू-अर्जन तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा राशि का 2.5 प्रतिशत लिया जायेगा। तदनुसार झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम-4 (2) (iv) के रूप में इसे अंतःस्थापित किया जाता है।

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-18.04.2018, के मद सं0-10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(उदय प्रताप)

सरकार के संयुक्त सचिव।

राँची, दिनांक-23-04-18

ज्ञापांक :- 8/भू0अ0नि0 NH (admn)-39/2018...242/रा0

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 8/भू0अ0नि0 NH (admn)-39/2018...242/रा0

राँची, दिनांक-23-04-18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 8/भू0अ0नि0 NH (admn)-39/2018...242/रा0

राँची, दिनांक-23-04-18

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्ता, झारखण्ड/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।